ACM आमेर (जयपुर)

फर्द अहकाम

(मौजा) [illegible] बनाम [illegible]

नाम न्यायालय

केस संख्या 22/23 दावा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	28/1/25	पत्रावली पेश हुई । ... साक्ष्य आदेश.................... अनुसार आगामी पेशी दिनांक 11-2-25 को पेश हो ।	
	11/2/25	पत्रावली पेश हुई । व. फ. स... पेशी साक्ष्य आदेश.................... अनुसार आगामी पेशी दिनांक 25/2/25 को पेश हो ।	कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त (13/02/2025)
	25/2/25	पत्रावली पेश हुई । ... साक्ष्य आदेश.................... आगामी पेशी दिनांक 20/3/25 को पेश हो ।	
	20/3/25	पत्रावली पेश हुई । ... बार एसो. जयपुर द्वारा ... किए जाने से पत्रावली पुनः ... 26/3/25 को पेश हो ।	
	26/3/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। वादी ने अंतिम डिक्री हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद वादी मुताबिक तहसीलदार कुर्रेजात रिपोर्ट अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली [illegible] सुरक्षा हेतु दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर आमेर ... जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:37:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :— सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या 22/2023 वाद प्रस्तुति दिनांक : 27.03.2023

लालाराम पुत्र स्व. मंगला जाति बलाई, निवासी ग्राम दादरबावडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

...........वादी

बनाम

1. मदन पुत्र महादेव (मृतक दौराने वाद)
   1/1 मूल देवी पत्नी मदन
   1/2 पप्पू कुमार पुत्र मदन
   1/3 रेखा देवी पुत्री मदन
   1/4 गुड्डी देवी पुत्री मदन
   1/5 किरण पुत्री मदन
2. नानछी पत्नी महादेव
3. नेमचंद पुत्र श्रवणलाल
4. भौला पुत्र श्रवणलाल
5. रूघनाथ पुत्र लक्ष्मण
   समस्त जातिगण बलाई, निवासी ग्राम दादरबावडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
6. कमला देवी पत्नी श्रवणलाल जाति बलाई, निवासी ग्राम नारी का बास, पोस्ट माचवा, तहसील व जिला जयपुर।
7. सरकार सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
8. उप पंजीयक आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
9. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा चौमूं जरिये शाखा प्रबंधक।
10. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा राधाकिशनपुरा जरिये शाखा प्रबंधक।

........प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

दिनांक 26.03.2025

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि आराजी वाके ग्राम दादरबावडी, पटवार हल्का खन्नीपुरा, भू–अभिलेख क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 382 रकबा [illegible] हैक्टेयर, खसरा नंबर 383 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 384 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 390 रकबा 0.3700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 392 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 393 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 394 रकबा 0.4000 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 2.0300 है[illegible]र कृषि भूमि स्थित है जिसमें वादी का शामलाती हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है उक्त कृषि भूमि का वाद पत्र में विवादग्रस्त माना गया है। वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:37:27 IST
Reason: SelfAttested

1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 3/20 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा वादग्रस्त भूमि में नाथी पत्नी स्व. श्रवणलाल, वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के साथ उक्त वादग्रस्त भूमि में सहखातेदार है परंतु नाथी पत्नी स्व. श्रवणलाल की मृत्यु हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान् प्रतिवादी संख्या 3 व 4 है जो प्रकरण में पक्षकार है। वादग्रस्त आराजीयात वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है जिसका वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के मध्य बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन नहीं हुआ है जिस पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपने –अपने हिस्सेनुसार मौके पर काबिज काश्त हो उसका उपयोग उपभोग कर रहे हैं तथा अविभाजित संयुक्त खातेदारी की भूमि में कानूनन प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा व अधिकार होता है तथा उक्त संपत्ति का लगान सरकारी वादी द्वारा अदा किया जा रहा है। दिनांक 23.02.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 पाँच सात दीगर व्यक्तियों को लेकर मौके पर आये और विवादग्रस्त भूमि को दिखाने लगे तो वादी द्वारा उनके आने का कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि हम विवादग्रस्त भूमि का बिना विधिवत तकासमा कराये विशिष्ट भू–भाग के रूप में बेचान करेंगे तथा प्लॉटिंग कर वादग्रस्त भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तन कर देंगे तथा वादग्रस्त भूमि का बिना तकासमा कराये उस पर निर्माण कार्य करेंगे तथा उसकी प्रकृति बदल देंगे जिस पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से कहा कि अभी विवादग्रस्त भूमि का विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है इस कारण आप भूमि का विशिष्ट भू–भाग के रूप में बेचान नहीं कर सकते ना ही निर्माण कार्य कर सकते हैं। पहले भूमि का विभाजन करवा लो उसके बाद भूमि का बेचान कर देना उक्त बात को सुनकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 उनके साथ आये पांच सात दीगर व्यक्ति वादी को धमकाने लगे की हम तो उक्त विवादग्रस्त भूमि को दीगर व्यक्तियों को विशिष्ट भू भाग के रूप में बेचान करेंगे और विवादग्रस्त भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य भी करेंगे तुम्हें जो करना है सो करलो उक्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की धमकी के कारण उक्त वाद बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना लाजमी हुआ है।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। तथा बार बार अदम तलबी होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जरिये अखबार हेतू आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 5, 2 ता 4, 6 के विरूद्ध बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर दिनांक 03.12.2024 इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादी अधिवक्ता [illegible] वली में प्राथमिक डिक्री पर बहस सुनी गई। वाद वादी बाई मीटस एंड बाउण्डस के आधार पर [illegible] डिकी किया गया। तदनुसार तहसीलदार जालसू को निर्देशित किया गया कि [illegible] (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वाके ग्राम दादर बावडी [illegible] पटवार हल्का खन्नीपुरा, भू–अभिलेख राधाकिशनपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 382 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 383 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 384 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 390 रकबा 0.3700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 392 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 393 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 394 रकबा 0.4000 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 2.0300 हैक्टेयर भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:37:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर तकासमा कर जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतियों में भिजवाने हेतू आदेशित किया गया। तहसीलदार जालसू से कुर्रेजात प्राप्त होने पर उभयपक्ष को बहस व आपत्ति हेतु अवसर दिया गया।

तहसीलदार जालसू ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/संस्था/2025 /313 दिनांक 07.02.2025 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये है। वादी अधिवक्ता ने कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर डिक्री करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात, तर्को, एवं कुर्रेजात के आधार पर वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. नेमचंद भोला पि0 श्रवणलाल हि0 2/3 नाथी पत्नी श्रवणलाल हि0 1/3 जाति बलाई, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 382 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 392/2 रकबा 0.1575 हैक्टेयर, खसरा नंबर 393/2 रकबा 0.24 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.5075 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. रूघनाथ पुत्र लक्ष्मण हि0 पूर्ण जाति बलाई, सा0 देह खातेदार राहिन आर.एम.जी.बी. शाखा राधाकिशनपुरा के हिस्से खसरा नंबर 383/1 रकबा 0.1250 हैक्टेयर, खसरा नंबर 392/1 रकबा 0.2225 हैक्टेयर, खसरा नंबर 393/1 रकबा 0.1600 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.5075 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. लालाराम पुत्र स्व. मंगला हि. पूर्ण जाति बलाई सा0 देह राहिन एस.बी.आई. शाखा चौमूं के हिस्से खसरा नंबर 384/1 रकबा 0.1075 हैक्टेयर, खसरा नंबर 390/1 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 394/1 रकबा 0.2200 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.5075 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
4. मदन पुत्र महादेव हि0 1/5 नानछी पत्नी महादेव हि0 1/5 जाति बलाई, सा. देह कमली देवी पत्नी श्रवणलाल हि0 3/5 जाति बलाई, सा. नि. ग्राम नारी का बास पोस्ट माँचवा तह. व जिला जयपुर खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 384/2 रकबा 0.0125 हैक्टेयर, खसरा नंबर 383/2 रकबा 0.1050 हैक्टेयर, खसरा नंबर 390/2 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 394/2 रकबा 0.2000 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.5075 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जाल[illegible] प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग र[illegible] अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही [illegible] हो। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:37:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस

नियमित वाद संख्या 22/2023 वाद प्रस्तुति दिनांक : 27.03.2023

लालाराम पुत्र स्व. मंगला जाति बलाई, निवासी ग्राम दादरबावडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

...........वादी

बनाम

1. मदन पुत्र महादेव
2. नानछी पत्नी महादेव
3. नेमचंद पुत्र श्रवणलाल
4. भौला पुत्र श्रवणलाल
5. रूघनाथ पुत्र लक्ष्मण
   समस्त जातिगण बलाई, निवासी ग्राम दादरबावडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
6. कमला देवी पत्नी श्रवणलाल जाति बलाई, निवासी ग्राम नारी का बास, पोस्ट माचवा, तहसील व जिला जयपुर।
7. सरकार सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
8. उप पंजीयक आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
9. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा चौमूं जरिये शाखा प्रबंधक।
10. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा राधाकिशनपुरा जरिये शाखा प्रबंधक।

........प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:–

1. नेमचंद भोला पि0 श्रवणलाल हि0 2/3 नाथी पत्नी श्रवणलाल हि0 1/3 जाति बलाई, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 382 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 392/2 रकबा 0.1575 हैक्टेयर, खसरा नंबर 393/2 रकबा [illegible] हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.5075 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. रूघनाथ पुत्र लक्ष्मण हि0 पूर्ण जाति बलाई सा0 देह खातेदार राहिन आर.एम.जी.बी. शाखा राधाकिशनपुरा के हिस्से खसरा नंबर 383/1 रकबा 0.1250 हैक्टेयर, खसरा नंबर 392/1 रकबा 0.2225 हैक्टेयर, खसरा नंबर 393/1 रकबा 0.1600 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.5075 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. लालाराम पुत्र स्व. मंगला हि. पूर्ण जाति बलाई सा0 देह राहिन एस.बी.आई. शाखा चौमूं के हिस्से खसरा नंबर 384/1 रकबा 0.1075 हैक्टेयर, खसरा नंबर 390/1 रकबा 0.1800

सहायक कलेक्टर
आमेर, जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:37:27 IST
Reason: SelfAttested

हैक्टेयर, खसरा नंबर 394/1 रकबा 0.2200 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.5075 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

4. मदन पुत्र महादेव हि0 1/5 नानछी पत्नी महादेव हि0 1/5 जाति बलाई, सा. देह कमला देवी पत्नी श्रवणलाल हि0 3/5 जाति बलाई, सा. नि. ग्राम नारी का बास पोस्ट माँचवा तह. व जिला जयपुर खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 384/2 रकबा 0.0125 हैक्टेयर, खसरा नंबर 383/2 रकबा 0.1050 हैक्टेयर, खसरा नंबर 390/2 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 394/2 रकबा 0.2000 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.5075 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 26.03.2025 को जारी किया।

दस्तखत——
ओहदा——

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बबत् इजराय हुक्मानामा मुतफरित मीजान	2 रूपये 2 रूपये 4 रूपये	—	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमि श्नर बबत् इजराय हुक्मानामा मुतफरित मीजान	2 रूपये 2 रूपये 4 रूपये	—

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:37:27 IST
Reason: SelfAttested